अब हर पंचायत में औरतें होंगी

मणिमाला

हम औरतें पिछले कितने सालों से लड़ रही हैं समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ़ पुरुषों द्वारा बनाए गए समाज में न रहें। बल्कि समाज बनाएं भी। यह सच है कि कई मोर्चे पर हम कमजोर पड़े हैं। हमारी किसी ने नहीं सुनी है। लेकिन कई मोर्चों पर हमारी लड़ाई इतनी मजबूत रही है कि हमने सुनने के लिए बाध्य कर दिया है।

विरोध

राजनीति में महिलाओं की सक्रिय और समझदार भागीदारी पिछले कुछ सालों से कम होने लगी थी। पार्टी के लोग औरतों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देते थे। अगर किसी तरह टिकट मिल भी जाता था तो लाठी और गुण्डों के बीच औरतों का जीतना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। उनके पुरुष प्रतिद्वंव्दी आखिरी हथियार के तौर पर मनगढ़न्त कहानियों का सहारा लिया करते हैं। उनका चरित्रहनन करते हैं। औरतों के चरित्र से जोड़ कर चाहे जितनी झूठी कहानी बनाई जाए, लोग उसे सच्ची कहानी मान लेते हैं। फिर खराब औरत समझ कर वोट नहीं देते। फिर भी औरतें मैदान से पीछे नहीं हट रही हैं। गांव-गांव में पंचायत चुनाव में औरतें हिस्सा ले रही हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो दो पंचायतों की सभी सदस्य औरतें हैं।

महाराष्ट्र में पहल

औरतों के इस संघर्ष और जीवट को देखते हुए दो साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने कानून बना कर सभी पंचायतों, जिला परिषदों और नगरपालिकाओं में औरतों के लिए एक तिहाई जगह आरक्षित कर दी थी। जब यह कानून बनाया गया तो कई लोगों ने खूब विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि औरतें समाज चलाने में भी हिस्सा लें। कई लोगों ने ललकारा भी कि अगर वे समाज चलाना चाहती हैं तो अपनी कूव्वत पर आगे आएं। कुछ लोगों ने यह शंका भी जाहिर की कि अगर वे पंचायत में बोलने लगीं तो घर में भी बोलने लगेंगी। आज आरक्षित सीटों पर खड़ी होकर जीतेंगी तो कल सामान्य सीटों से भी जीतने लगेंगी। उन्हें समाज चलाना आ जाएगा तो वे बाद में विधान सभाओं और संसद में भी जाने लगेंगी।

विरोधों के बावजूद महाराष्ट्र में पंचायत और

पालिका चुनाव हुए। तीस प्रतिशत जगहों पर महिलाएं चुन कर आईं। पहली बार इतनी संख्या में आईं। घर से बाहर की समस्याओं को समझाना शुरू किया और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया।

उड़ीसा में कानून

पिछले वर्ष उड़ीसा सरकार ने भी कानून बदला। वहां भी ग्राम पंचायत, जिला परिषद और नगरपालिकाओं में औरतों के लिए एक तिहाई जगह आरक्षित की गईं। साथ ही यह कानून भी बना कि अगर किसी पंचायत का सरपंच पुरुष होगा, तो उप-सरपंच के पद पर औरत ही चुनी जाएगी। इसका भी खूब विरोध हुआ। महाराष्ट्र से भी ज्यादा विरोध हुआ। तीन बार चुनाव टालने पड़े। चौथी बार तय की गई तारीख पर वहां चुनाव हो सका।

लोग कहते थे कि औरतों के लिए जगह आरक्षित तो कर दी गईं लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इतनी सारी औरतें आएंगी कहां से? लेकिन यह आशंका सच नहीं निकली। औरतें पंचायत में शामिल होना तो पहले से ही चाह रही थीं। लाठी और पैसे के आगे उनकी यह इच्छा धूल बन कर उड़ जाती थी। जब एक चुनाव क्षेत्र में केवल महिलाएं ही रह गईं तो लाठी और पैसे का जोर जरा कम हुआ। एक एक चुनाव क्षेत्र में आठ से दस महिलाएं खड़ी थीं। दुर्भाग्य यह कि विरोधियों ने चुनाव के दौरान भी विरोध जारी रखा। वे हिंसा पर भी उतर आए। इस चुनाव के दौरान 17 जन मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

औरतों की सफलता

औरतों ने पंचायत में इतना बढ़िया काम किया कि अब उनका कोई विरोध नहीं है। महाराष्ट्र और उड़ीसा में इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने भी पंचायत कानून में सुधार लाने के लिए एक विधेयक तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि अब हर राज्य की हर पंचायत, जिला परिषद और नगरपालिका में एक तिहाई सीट पर केवल औरतें ही चुनाव लड़ेंगी। अगर यह कानून संसद के इस सत्र में पेश कर दिया गया। और पास हो गया तो हम औरतों के लिए समाज संचालन में भागीदारी के नए अवसर मिलेंगे। अपनी रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल कर पाएंगे। हम बता सकेंगे कि हम किसी से कम नहीं। हमारी ही लगातार लड़ाई का नतीजा है यह। □